सर्वोच्च प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

संख्या-9/2023/1985/90-सं0शि0प0का0/2023-08(सं0शि0)/2019

प्रेषक,

जे0पी0 सिंह-II,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग **लखनऊ: दिनांक-29 दिसम्बर, 2023**

विषय: माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय मंत्री/प्रभारी मंत्री के जनपद स्तर पर विकास से संबंधित कार्यक्रम/भ्रमण कार्यक्रम की सूचना माननीय सांसद/विधान मण्डल के माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि माननीय विधान सभा सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल का उल्लंघन किये जाने संबंधी प्रकरणों पर विचार-विमर्श किये जाने हेतु दिनांक 30 अक्टूबर, 2023 को माननीय अध्यक्ष, विधान सभा की अध्यक्षता में माननीय संसदीय अनुश्रवण समिति की बैठक सम्पन्न हुई थी।

2- उक्त बैठक में एक प्रकरण पर विचार-विमर्श के दौरान माननीय समिति के सदस्यगण द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय मंत्री/ माननीय प्रभारी मंत्री, उ0प्र0 के जनपद स्तर पर विकास कार्यों से संबंधित कार्यक्रम/ भ्रमण कार्यक्रम की सूचना उन्हें नहीं दी जाती है, जिस पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निर्देश दिये गये कि जनपदों के प्रोटोकाल अधिकारियों के माध्यम से माननीय जनप्रतिनिधियों को सूचना अवश्य दी जानी चाहिए।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय मंत्री/ माननीय प्रभारी मंत्री के जनपद स्तर पर विकास कार्यों से संबंधित कार्यक्रम/ भ्रमण कार्यक्रम की सूचना संबंधित जनपद के माननीय सांसद/ विधान मण्डल के माननीय सदस्यगण को जनपद के प्रोटोकाल अधिकारी के माध्यम से ससमय अवश्य दी जाये तथा माननीय सांसदों एवं विधान मण्डल के माननीय सदस्यों से उनके वाट्स-एप नम्बर प्राप्त करके उन पर भी सूचना ससमय भेजी जाये।

कृपया उक्त आदेशों/निर्देशों का प्रत्येक दशा में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

जे0पी0 सिंह-II

प्रमुख सचिव।

कृ0पृ0-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-9/2023/1985/90-सं0शि0प0का0/2023 तददिनांक ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, उ0प्र0 शासन।

2- निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

3- निजी सचिव, माननीय मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।

4- निजी सचिव, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।

5- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।

6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

8- विशेष सचिव, विधान सभा समिति (सामान्य) अनुभाग-3

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

पूनम त्रिवेदी,

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।